

I/4004/2024

मैसर्स ईओएन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड-चरण- II एसईजेड, खराडी, पुणे, के आईटी/आईटीईएस के लिए सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र, का जोनल विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, सीप्ल एएसईजेड, मुंबई में दि 29.02.2024 को आयोजित 42 वी अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

1	एसईजेड का नाम	मैसर्स.ईओएन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड-एसईजेड, चरण II
2	क्षेत्र	आईटी/आईटीईएस
3	मीटिंग नं	42 वीं
4	तारीख	29.02.2024

उपस्थित सदस्य:

क्र.	नाम एवं पदनाम (श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्रीमती मितल हिरेमठ संयुक्त विकास आयुक्त पुणे	पुणे क्लस्टर एसईजेड, पुणे
2	श्रीमती भारती आहूजा सहायक आयुक्त, आयकर विभाग	आयकर विभाग से नामित
3	डॉ. दिलीराज दाभोले, उपमहानिदेशक डीजीएफटी,	पुणे डीजीएफटी विभाग से नामित
4	श्रीमती मालती नायर, सीमा शुल्क अधीक्षक	सीमा शुल्क विभाग पुणे नामित

विशेष आमंत्रित :

क्र.	नाम एवं पदनाम (श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्री. शम्भू दयाल मीना विनिर्दिष्ट अधिकारी	ईओएन-एसईजेड, पुणे क्लस्टर

एजेंडा आइटम नंबर 01: दिनांक 09.02.2024 को आयोजित 41 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 09.02.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की 41 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

एजेंडा आइटम नंबर 02: मैसर्स क्रेडिट सुइस एजी द्वारा शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन के अनुमोदन हेतु आवेदन ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में यूनिट के शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव की सूचना को मंजूरी दी, जैसा कि नीचे बताया गया है:

स्वीकृत शेयरधारिता पैटर्न:

क्र.	शेयरधारकों का नाम	शेयर ट्रांसफर के बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न		
		शेयरों की संख्या	प्रति शेयर मूल्य (सीएचएफ)	में %
1.	यूबीएस ग्रुप एजी	0	एन/ए	एन/ए
2.	यूबीएस बिजनेस सॉल्यूशंस एजी	10	1,00,000	100
	कुल	10	1,00,000	100

अनुमोदन एमओसी&आई द्वारा जारी अनुदेश संख्या 109 में निर्धारित शर्तों के अधीन है, जो लागू हों।

- परिवर्तित इकाई के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता;
- परिवर्तित इकाई और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना;
- सभी राजस्व/कंपनी मामलों/सेबी आदि अधिनियम/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन, जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, स्थानांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- इक्विटी/विलय, डिमर्जर, सम्मेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।
- मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, डिमर्जर, सम्मेलन, स्वामित्व में स्थानांतरण आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा। अधिनियम, 1961.
- एफ. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।
- जी. आवेदक को पैन और इकाई के क्षेत्राधिकार मूल्यांकन कार्यालय का विवरण सीबीडीटी को प्रस्तुत करना होगा।
- एच. आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

I/4004/2024

Chairmanship of Zonal Development Commissioner SEEPZ-SEZ, Mumbai for Sector Specific Special Economic Zone for IT/ITES of M/s. EON Kharadi Infrastructure Pvt. Ltd.-Phase-II SEZ, Kharadi, Pune, held on 29.02.2024		
1	Name of the SEZ	M/s. EON Kharadi Infrastructure Pvt. Ltd.-SEZ, Phase II
2	Sector	IT/ITES
3	Meeting No.	42 nd Meeting
4	Date	29.02.2024

Members present:

Sr	Name and Designation (S/Shri.)	Department
1	Smt. Mital Hiremath Joint Development Commissioner	Pune Cluster SEZ, Pune
2	Smt. Bharati Ahuja Asst. Commissioner, IT	Nominee of Income Tax, Pune
3	Dr. Dileeraj Dabhole, Dy. DGFT	Nominee of DGFT, Pune
4	Smt. Malathi J. Nair Superintendent	Nominee of Customs, Pune

Special Invitee:

Sr	Name and Designation	Department
1	Shri. Shambhu Dayal Meena Specified Officer	SEEPZ-SEZ, Pune Cluster

Agenda Item No.01: Confirmation of the Minutes of the 41st meeting held on 09.02.2024.

After deliberation, the Committee confirmed the minutes of the 41st meeting of Approval Committee held on 09.02.2024.

Agenda Item No.02: Application for approval of Change in Shareholding Pattern submitted by M/s. Credit Suisse AG.

After deliberation, the committee approved the intimation for change in Shareholding pattern of the Unit, in terms of Instruction No. 109 dated 18.10.2021, issued by MOC&I, as detailed below:

Approved Shareholding Pattern:

Sr. No.	Name of Shareholders	Shareholding pattern After the share transfer		
		No. of Shares	Value per share (CHF)	In %
1.	UBS Group AG	0	N/A	N/A
2.	UBS Business Solutions AG	10	1,00,000	100
	TOTAL	10	1,00,000	100


The approval is subject to the conditions as laid down in Instruction No. 109,

I/4004/2024

as applicable, issued by MOC&I

- a. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity;
- b. Fulfilment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc. by the altered entity and its constituents;
- c. Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Act/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
- d. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownership etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.
- e. The assessing officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger, demerger, amalgamation, transfer in ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
- f. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
- g. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing office of the unit to CBDT.
- h. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.

Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.


27.03.2024

(राजेश कुमार मिश्रा, आईआरएस)

(Rajesh Kumar Mishra, IRS)

अध्यक्ष एवं विकास आयुक्त

Chairman-cum- Development
Commissioner